फतेहगढ़ पुलिस

UTTAR PRADESH 112 EMERGENCY

दैनिक जागरण

फर्जी दस्तावेजों से धोखाधड़ी कर जमीन बेचने के तीन आरोपित गिरफ्तार

संवाद सहयोगी, जागरण . कायमगंज : गांव बेहटा बल्लू निवासी शिववीर सिंह ने न्यायालय के आदेश से सात जनवरी को फर्जी दस्तावेजों से धोखाधड़ी कर जमीन बेचने के मामले में गांव बेहटा बल्लू निवासी सुखरानी पत्नी छंगे, जनपद कासगंज थाना पटियाली क्षेत्र के गांव मोहन नगला निवासी ममता देवी पत्नी अशोक कुमार, शमसाबाद थाना क्षेत्र के नगला सेठ निवासी नीलम पत्नी आकाश, गांव कोट मऊ रसीदाबाद निवासी श्रीकिशन, राजवीर, रोहित एवं लेखपाल अनुराग गुप्ता के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इस मामले में हुई विवेचना में प्रकाश में आए आरोपित गांव बेहटा बल्लू निवासी रामवीर, गांव मलू का नगला निवासी अरविंद एवं नामजद आरोपित राजवीर उर्फ अन्नू को प्रभारी निरीक्षक विनोद कुमार शुक्ल व उप निरीक्षक ने गिरफ्तार कर लिया।

अमर उजाला

फर्जी बैनामे में तीन को दबोचा

कायमगंज। करीब 40 वर्ष पहले मर चुके किसान की भूमि का फर्जी बैनामा करने के मामले में कोतवाली पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। किसान को जीवित दिखाकर जमीन का सौदा किए जाने का मामला सामने आने के बाद पुलिस ने कार्रवाई की।

प्रभारी निरीक्षक विनोद कुमार शुक्ला व कुआं खेड़ा चौकी प्रभारी जितेंद्र सिंह ने गांव भकुसा से नगला मलू जाने वाले मार्ग से रामवीर निवासी बल्लू बेहटा, अरविंद निवासी मलू नगला और अन्नू उर्फ राजवीर निवासी खानआलमपुर को दबोच लिया। गांव बल्लू बेहटा निवासी शिववीर सिंह की तहरीर पर दर्ज मुकदमे में आरोप है कि अभियुक्तों ने मृत परमेश्वरी के नाम पर एक अन्य व्यक्ति को खड़ा कर फर्जी विक्रय पत्र तैयार कराया और जमीन का बैनामा कर दिया।

पुलिस के अनुसार मामले में पहले से सात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज है। इनमें कुछ महिलाएं और एक लेखपाल भी हैं। तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है जबकि अन्य की तलाश जारी है। (संवाद)

हिन्दुस्तान

मृत महिला को जिंदा दिखा बैनामा कराने में तीन दबोचे

- 40 साल पहले मर चुकी महिला का कराया बैनामा
- कायमगंज कोतवाली का मामला, आरोपित बेहट के

कायमगंज, संवाददाता। कोतवाली पुलिस ने फर्जी और कूटरचित विक्रय पत्र तैयार करने वाले तीन आरोपितों को गिरफ्तार किया है। इन शातिरों ने मिलकर करीब 40 साल पहले मर चुकी एक महिला को कागजों में जिंदा दिखाकर जमीन की धोखाधड़ी की थी। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार किया है।

पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए आरोपियों को भकुसा से नगला मलू जाने वाले रास्ते से पकड़ा। गिरफ्तार आरोपियों में रामवीर निवासी बल्लू बेहटा, अरविंद निवासी मलू नगला और अन्नू उर्फ राजवीर निवासी कोट मऊ रशीदाबाद शामिल हैं। पुलिस के अनुसार, यह कार्रवाई उच्चाधिकारियों के निर्देशन में चलाए जा रहे अपराध नियंत्रण अभियान के तहत की गई। मामले में वादी शिववीर सिंह निवासी बेहटा बल्लू ने शिकायत दी थी कि आरोपियों ने करीब 40-50 वर्ष पूर्व मृत परमेश्वरी के नाम पर किसी अन्य को खड़ा कर फर्जी विक्रय पत्र तैयार कर लिया। शिकायत के विरोध पर आरोपियों ने वादी के साथ गाली-गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी दी और हाथापाई भी की। इस मामले में पुलिस ने विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की थी। विवेचना के दौरान साक्ष्य मिलने पर पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, जबकि अन्य नामजद आरोपियों की तलाश जारी है। पुलिस का कहना है कि गिरफ्तार आरोपियों को न्यायालय में पेश कर आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है।

मीडिया सेल फतेहगढ़